गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर जिला ऊधमसिंह नगर
संस्थापना कार्यालय

पत्रांकः संस्था/474 दिनांकः मार्च 28 ,2024

कार्यालय आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 2028 आफ 2015 (एस/एस) में दिनांक 20.03.2017 को मा0 न्यायालय द्वारा निम्न निर्णय/आदेश पारित किये गये हैं:–

"Petitioner was appointed as daily rated employee on 04.10.1990. Thereafter, he was asked to discharge his duties as Bill Clerk on 02.09.1995. Petitioner made a representation for his regularisation to the post of Bill Clerk.

The representation of the petitioner was rejected merely on the ground that he has neither passed High School nor intermediate examination as per the Regularisation Rules of 2011 framed on 21.11.2011.

It is settled law that eligibility and qualification etc. has to be seen at the time of appointment, not at the time when person is liable to be regularised in service.

The fact of the matter is that petitioner though, appointed on daily rate employee on 04.10.1990, he has been discharging his duties on the post of Bill Clerk w.e.f. 02.09.1995. The experience is substitute for qualification for regularisation to the post in question.

The writ petition is allowed. The respondents are directed to regularise the petitioner to the post of Bill Clerk w.e.f. 02.09.1995 with all consequential benefits, within a period of 10 weeks from today."

उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर स्पेशल अपील संख्या 169 आफ 2017 में दिनांक 24.08.2023 में मा0 न्यायालय द्वारा निम्न निर्णय/आदेश पारित किये गये हैं:–

"11. In the facts of this case, the view taken by learned Single Judge that experience is a substitute for qualification, does not call for any interference in this intra-court appeal. Accordingly, the special appeal is dismissed."

उपरोक्त प्रकरण पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस0एल0पी0 संख्या 27117/2023 में दिनांक 13.12.2023 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न निर्णय/आदेश पारित किये गये हैं:–

"1- We are not inclined to interfere with the judgment impugned herein under Article 136 of the Constitution of India.

2- The Petition for Special Leave to Appeal is dismissed. Pending application(s), if any, are disposed of."

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय/आदेशों के अनुपालन में श्री रामआशीष पुत्र श्री झिंगुर प्रसाद दैनिक वेतन भोगी आकस्मिक कर्मी को दिनांक 02.09.1995 *(with all consequential benefits)* से बिल क्लर्क के पद पर वेतनमान रु0 950–1500 (पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रु0 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900, स्तर–2) में निम्न शर्तों के साथ विनियमित किये जाने की कुलपति महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी हैः–

1. श्री रामआशीष द्वारा पुलिस चरित्र सत्यापन कराये जाने हेतु अटेस्टेशन प्रपत्र 03 प्रतियों में पूरित कर वित्त नियंत्रक कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। चरित्र का पुलिस द्वारा सत्यापन ठीक पाये जाने की दशा में इनकी सेवायें अस्थायी रूप से बनी रहेंगी परन्तु यदि पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में इनके चरित्र के संबंध में कोई विपरीत टिप्पणी की

28/3/24

जाती है, जो इनको सेवा के अयोग्य घोषित करती हो तो इनकी सेवायें समाप्त हो जायेंगी।

2. पद पर मूल वेतन का निर्धारण सुसंगत शासनादेश के अनुसार निर्धारित किया जायेगा तथा उपरोक्त वेतन बैण्ड में समय–समय पर मिलने वाले भत्ते विश्वविद्यालय नियमानुसार अनुमन्य होंगे।
3. उन सभी कर्तव्यों का निर्वाह करना होगा जोकि विभागाध्यक्ष/कुलपति जी द्वारा पद के अनुरुप समय–समय पर निर्देशित किये जायेंगे।
4. सेवा शर्तें विश्वविद्यालय के अधिनियम/परिनियमों/नियमों के अंतर्गत नियंत्रित होंगी तथा विश्वविद्यालय कर्मचारियों पर लागू चरित्र नियमावली का कड़ाई से पालन करना होगा। सेवाऐं अस्थाई हैं जो किसी भी समय 01 माह का नोटिस अथवा उसके बदले 01 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती हैं।
5. आवासीय सुविधा विश्वविद्यालय आवास आवंटन नियमों के अनुसार सुलभ करायी जायेगी।
6. सेवा में योगदान करते समय प्रभारी अधिकारी, विश्वविद्यालय चिकित्सालय, पंतनगर द्वारा निर्गत मेडिकल फिटनैस सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. सेवा में योगदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी यात्रा भत्ता देय नही होगा।
8. उपरोक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

   अ. प्रभारी चिकित्साधिकारी, विश्वविद्यालय चिकित्सालय, पंतनगर से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट।

   ब. संलग्न प्रपत्र पर पुलिस द्वारा सत्यापन हेतु प्रपत्रों की पूरित तीन प्रतियॉ।

   स. शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित प्रपत्र।
9. यदि यह नियुक्ति आपको स्वीकार्य है तो आप दिनांक 10.04.2024 को कार्यालय समयानुसार तक वित्त नियंत्रक कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करें।

यह आदेश कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 27.03.2024 के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे हैं।

28/3/24

संस्थापनाधिकारी
कृते कुलपति

प्रतिलिपिः–

01. श्री राम आशीष पुत्र श्री झिंगुर प्रसाद, श्री रामआशीष आवास सं0 I/89, फूलबाग, पोस्ट–पंतनगर, जिला– ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)।
02. वित्त नियंत्रक को इस अनुरोध के साथ कि कृपया योगदान रिपोर्ट के साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ प्राप्त करने का कष्ट करें।
03. निदेशक, विधि।
04. परिसम्पत्ति अधिकारी।
05. प्रभारी अधिकारी वेबसाईट मैनेजमेंट सेल।
06. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
07. सम्बन्धित पत्रावली।